न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : आशाराम डूडी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 47/2016

अपीलांट

1. स्वर्गीय दीपाराम पुत्र श्री मीठाजी के कायम मुकामः–
    1/1 स्वर्गीय हिमताराम पुत्र श्री दीपारामजी के कायम मुकाम :–
    1/1/1 श्रीमती मंजू पत्नी हिमतारामजी,
    1/1/2 अमृतलाल पुत्र श्री हिमतारामजी, उम्र 14 वर्ष नाबालिग
    1/1/3 जितेन्द्र पुत्र श्री हिमतारामजी, उम्र 8 वर्ष नाबालिग
    1/1/4 सुश्री कवित पुत्री श्री हिमतारामजी, उम्र 5 वर्ष नाबालिग जरिये कुदरती वलीया माता अपीलांट संख्या 1/1/1 मंजू बेवा हिमतारामजी, जाति मीणा, निवासी बलाना, तहसील सुमेरपुर, जिला पाली।
    1/2 सदाराम पुत्र श्री दीपारामजी
    1/3 श्रीमती मथरा बेवा दीपारामजी
2. नरसाराम पुत्र श्री मीठाजी
3. स्वर्गीय दौलाराम पुत्र श्री मीठाजी के वारिसानः–
    3/1 श्रीमती रती पुत्री श्री दौलरामजी
    3/2 सीता पुत्री श्री दौलारामजी
4. स्वर्गीय चुनाराम पुत्र श्री मीठाजी के वारिसानः–
    4/1 गमनाराम उर्फ मगाराम पुत्र श्री चुनारामजी,
    4/2 वनाराम पुत्र श्री चुनारामजी
    4/3 श्रीमती जुमी पुत्री चुनारामजी
5. अनाराम पुत्र श्री मीठाजी
6. पाला पुत्र श्री सोनाजी
7. जुंजा पुत्र श्री सोनाजी
8. बाबूलाल पुत्र श्री सोनाजी
9. रताराम पुत्र श्री टोयाजी
10. पकीया पुत्र श्री टोयाजी
11. अखाराम पुत्र श्री नवाजी
12. जेताराम पुत्र श्री नवाजी
13. रामाराम पुत्र श्री नवाजी
14. श्रीमती टीपूदेवी पत्नी नवाजी
15. भंवरलाल पुत्र परकारामजी
16. श्री स्वर्गीय खुमाराम पुत्र मानारामजी के वारिसानः–
    16/1 मानाराम पुत्र री खुमारामजी
    16/2 हरीश पुत्र श्री खुमारामजी
17. चतराराम पुत्र श्री रूपाजी
18. भैरा उर्फ नेती पुत्र रूपाजी
19. भूरा पुत्र श्री रूपाजी
20. भूरा पुत्र श्री रूपाजी
21. मूलाराम पुत्र श्री हरतारामजी

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

22. कपूराराम पुत्र री हरतारामजी
23. टमू पत्नी श्री ताराराम जी
24. गजाराम पुत्र श्री ताराराम जी
25. मछाराम पुत्र श्री ताराराम जी जातिगण मेणा निवासी बलाना तहसील सुमेरपुर जिला पाली।

बनाम

रेस्पोडेन्टस्

1. भगवानाराम पुत्र श्री दुर्गारामजी
2. गमनाराम पुत्र श्री दुर्गारामजी
3. गोपाल पुत्र श्री दुर्गारामजी, जाति मेणा, निवासीगण बलाना, तहसील सुमेरपुर जिला पाली।
4. श्रीमती पेची देवी पुत्री श्री स्वर्गीय दुर्गारामजी, निवासी बलाना, हाल निवासी कोरटा, तहसील सुमरेपुर, जिला पाली।
5. श्रीमान तहसीलदार साहब, सुमेरपुर
6. भूराराम पुत्र श्री नवाजी
7. अंतरी पुत्री श्री परखाजी
8. चौथी पुत्री श्री परखाजी
9. भाटिया पुत्री श्री परखाजी
10. लक्ष्मण पुत्री श्री रूपाजी जातिगण मेणा, निवासीगण बलाना, तहसील सुमेरपुर जिला पाली।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री मदनदास वैष्णव, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. श्री नारायण लाल कुमावत विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स संख्या 01 से 04 की ओर से
3. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 05 की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांक : 26.04.2019

अपीलाण्ट्स की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखंड अधिकारी सुमेरपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 64/2013 बउनवान भगवानाराम बनाम स्वर्गीय दीपाराम के कायम मुकाम श्रीमती मेजु वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.05.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील अधिकारी
पाली

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट्स संख्या 01 से 4 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम के तहत खसरा नंबर 713 रकबा 0.29 हैक्टर किस्म गै.मु. रास्ता, पगडंडी मौजा बलाना की भूमि की खातेदारी घोषणा एवं रेकर्ड दुरूस्ती वाद पेश किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई। जो कि विधिसम्मत नहीं है। रेस्पोडेन्ट्स संख्या 01 से 04 द्वारा वादग्रस्त आराजी के संबध में प्रस्तुत वाद उपखंड अधिकारी महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। जबकि उक्त वाद को सुनने का क्षेत्राधिकार सहायक कलक्टर महोदय के पास है। जिससे रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत वाद पोषणीय न होने से खारिज योग्य था। वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 713 रकबा 0.29 हैक्टर रास्ते की भूमि से अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 06 से 10 अर्से दराज से अपनी खातेदारी भूमि खसरा नंबर 688, 689, 690, 691, 693, 694, 695 वगैरह मौजा बलाना, तहसील सुमरेपुर जिला पाली की भूमि में बतौर कृषि कार्य करने हेतु आने जाने के उपयोग–उपभोग हेतु कदीमी के रूप में ली जाती रही है। अपीलांट की खातेदारी में आने–जाने हेतु एकमात्र नजदीकी रास्ता वादग्रस्त आराजी से ही था एवं रहा है जो राजस्व रेकर्ड एवं मौके की स्थिति अनुसार मौके पर विधमान था एवं आज भी है। वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 713 राज्य सरकार के सिवाय चक खाता संख्या 01 में अंकित थी, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भूमिधारी तहसीलदार सुमेरपुर आवश्यक पक्षकार होने के बावजूद आदेशिका दिनांक 20.11.2015 के जरिये भूमिधारी को फोर्मल पक्षकार मानते हुए जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आदेशिका दिनांक 20.11.2015 अनुसार तथाकथित अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता द्वारा No Instruction Plead करने पर कानून की मंशा अनुसार सुनवाई हेतु अपीलांट्स का न्यायालय की ओर से अदालती नोटिस के जरिये तलबी किया जाना आवश्यक था। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कानून की स्थिति को अनदेखा करते हुए अपीलांट्स के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करने का आदेश प्रदान किया गया। वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 713 रेस्पोडेन्ट्स संख्या 01 से 04 मय इनके पूर्वजो की खातेदारी भूमि नहीं थी बल्कि रास्ते की भूमि थी। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौके की स्थिति अनदेखा करते हुए अपीलांट्स को बिना सुनवाई का अवसर दिये, तनकीयात कायम किये लोक अदालत कैम्प में जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है जो कि विधिसम्मत नहीं है। अत अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे। वकील अपीलांट द्वारा अपने कथनो के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त पेश किये– (1) 2003 RRT page 709 (2) 2011 RRT page 512 (3) 2000 RBJ page 116 (4) 1998 RRD page 44 (5) 1999 RRD page 7

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट्स संख्या 01 से 4 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम के तहत खसरा नंबर 713 रकबा 0.29 हैक्टर किस्म गै.मु. रास्ता, पगडंडी मौजा बलाना की भूमि की खातेदारी घोषणा एवं रेकर्ड दुरूस्ती वाद पेश किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई। वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 713 रकबा 0.29 हैक्टर भूमि रास्ते की भूमि कभी नहीं रही। किन्तु सेटलमेंट विभाग द्वारा त्रुटिवश वादग्रस्त आराजी को अस्थाई मार्क अंकित कर गै.मु. रास्ता पगडंडी राज्य

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

सरकार के खाते में दर्ज कर दी। उक्त इन्द्राज को दुरूस्त कराने हेतु रेस्पोडेन्टगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 136 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। साथ ही उक्त आराजी के संबध में खातेदारी घोषणा का वाद भी प्रस्तुत किया। अपने वाद के संबध में रेस्पोडेन्टगण द्वारा साक्ष्य–दस्तावेज क्रमशः जमाबंदिया संवत 2068–2071 (4), नक्शे किश्तवार (2), नजरी नक्शे (2), भूमि एकीकरण मिलान क्षेत्रफल व तहसीलदार सुमेरपुर की रिर्पोट दिनांक 08.11.2012 मय मौका फर्द दिनांक 06.11.2012 की प्रतियां प्रस्तुत की गई। जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। एवं जहां तक अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दावा प्रस्तुत के क्षेत्राधिकार का प्रश्न है तो अपीलांटगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस संबध में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पक्षकारो की सहमति से राजस्व लोक अदालत कैम्प अटल सेवा केन्द्र में जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की है जो विधिसम्मत है। अत अपील अपीलांट खारिज की जावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा रेस्पोडेन्ट्स संख्या 01 से 4 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम के तहत खसरा नंबर 713 रकबा 0.29 हैक्टर किस्म गै.मु. रास्ता, पगडंडी मौजा बलाना की भूमि की खातेदारी घोषणा एवं रेकर्ड दुरूस्ती वाद पेश किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील निर्णय व डिक्री लोक अदालत कैम्प में पारित की गई है। इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आर0सी0आर0 (सिविल) 2006(4) पेज 947 सहित विभिन्न निर्णयों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि "Legal Services Authorities Act 1987, Section 20- Power of disposal of cases by Lok Adalat- No order can be passed by Lok Adalat if no compromise or settlement is or could be arrived at between parties" इसका विस्तृत विवेचन इस प्रकार किया है कि "The specific language used in sub-section of Section 20 makes it clear that the Lok adalat can dispose of a matter by way of a compromise or settlement between the parties, Two crucial terms in sun-section (3) and (5) of Section 20 are"compromise" and "settelment"The former expression means settlement of differences by mutual concessions. it is an agreement reached by adjustment of conflicting or opposing claims by reciprocal modification of demands. As per Terms deLey, compromise is a mutual promise of two or more parties that are at controversy. As per Bouvier it is "an agreement between two or more persons, who to avoid a law suit, amicably settle their differences, on such terms as they can agree upon" The word "compromise "implies some element o accommodation on each side. it is not apt to describe total surrender. A compromise is

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

always bilateral and means mutual adjustment. "Settelment" is a termination of legal proceedings by mutual consent. If no compromise or settlement is or could be arrived at, no order and be passed by the Lok Adalat " इसी प्रकार एस0बी0सिविल रिट याचिका संख्या 9194/2016 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते हुए यह अभिमत प्रकट किया कि जब पक्षकारान् के मध्य राजीनामा अथवा सहमति नहीं हो, तो लोक अदालत के माध्यम से आदेश पारित किया जाना विधि सम्मत नहीं है। उक्त न्यायिक सिद्धान्तों से यह स्पष्ट है कि राजस्व लोक अदालत के माध्यम से निर्णय पारित करने हेतु दोनो पक्षों की उपस्थिति एवं उनमें राजीनामा होना आवश्यक है, बिना राजीनामे के लोक अदालत के तहत आदेश पारित किया जाना विधिसम्मत नहीं है। उक्त अभिनिर्णयों से हस्तगत प्रकरण पूर्णतया प्रभावित होते है। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 12.02.2015 को हस्तगत प्रकरण 6 तनकीयात कायम की गई। किन्तु जैर अपील निर्णय व डिक्री बिना तनकीयात कायम किये पारित की गई है। इस संबध में आर.आर.टी पेज नंबर 1006 गुरमीतसिंह व अन्य बनाम मलकीयात कोर व अन्य में प्रतिपादित किया कि "सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908–आदेश 41, नियम 31– राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 धारा 88 व 53 –विभाजन एवं घोषणा हेतु वाद–राजस्व अपील प्राधिकारी ने 5 बीघा भूमि में 'एच' के पुत्रो का बराबर हिस्सा घोषित किया–द्वितीय अपील–विाद बिन्दु विरचित नहीं किये–प्रत्येक तनकी पर निर्णय नहीं दिया–निर्णीत, पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है व अपास्त किया तथा पुनः निर्णय हेतु मामला प्रतिप्रेषित किया।" इसी प्रकार 2018 आर.आर.टी पेज नंबर 864 परमेश्वरी देवी बनाम मानाराम व अन्य में प्रतिपादित किया कि "राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955–धारा 88 व 188 –खातेदारी अधिकारो की घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा हेतु वाद–वाद डिक्री किया–राजस्व अपील प्राधिकारी ने निर्णय अपास्त किया तथा प्रकरण प्रतिप्रेषित किया और दोनो पक्षकारो को सुनवाई का अवसर देने के बाद निर्णीत करने का निर्देश दिया–रेस्पोडेन्टगण को सुने बिना कैम्प कोर्ट में एकपक्षीय वाद डिक्री किया– 14.03.2017 का तामील हेतु नियत था और 18.05.2017 को निर्णीत किया– प्रकरण को लोक अदालत में रखने को रेस्पोडेन्ट्स को नोटिस नहीं दिया–निर्णीत आदेश में अवैधता नहीं है।' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 188 के तहत खातेदारी घोषित कराने एवं स्थाई व्यादेश जारी करने के प्रावधान है। इन नियमों के तहत जो कार्यवाही की जानी है, वह रेवेन्यू कोर्टस मेन्यूअल एवं सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में प्रदत्त प्रक्रिया की पालना की जानी आज्ञापक है। इसके अनुसार वाद दायर होने के पश्चात प्रतिवादी को जरिये सम्मन तामील किया जाना, विधिवत तामील के पश्चात पक्षकारों की उपस्थिति/अनुपस्थिति के सम्बन्ध में विधिवत निर्णय लिया जाना। जवाबदावा/प्रतिदावा प्रस्तुत करना, तनकीयात कायम करते हुए उन पर संग्रहित साक्ष्यों पर तनकीयात विनिश्चय करने के पश्चात ही विधि सम्मत निर्णय पारित किया जाना आज्ञापक है। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना तनकीयात कायम करते हुए उन पर संग्रहित साक्ष्यों पर तनकीयात विनिश्चय किये प्रशासन गांवो के संग लोक अदालत कैम्प में विधि विरूद्ध रूप से कार्यवाही करते हुए जैर अपील निर्णय व डिक्री की गई है, जो कि हाजा न्यायालय की राय में उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार की जाती है तथा उपखंड अधिकारी सुमेरपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 64/2013 बउनवान

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

भगवानाराम बनाम स्वर्गीय दीपाराम के कायम मुकाम श्रीमती मेजु वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.05.2016 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को साक्ष्य, सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, रेवेन्यू कोर्ट मैन्यूअल एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में विहित प्रक्रिया की पालना करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 26.04.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशाराम डूडी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली